<u>2017 का विधेयक सं.22</u>

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं. 35 की धारा 8 का संशोधन.- वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 35) की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**8. कुलपति.-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्चतर शिक्षा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश और विदेश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन, और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा

संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(17) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(18) कुलपति को, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई, जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(19) कुलपति, इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई भी कार्रवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिवस के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर देता है या इसमें असफल रहता है तो वह विषय अंतिम विनिश्चय के लिए बोर्ड या, यथास्थिति, कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 के उपबंधों को अंगीकार करने के लिए मंजूरी प्रदान की थी। तत्पश्चात् इन विनियमों में वर्ष 2013 में संशोधन किये गये।

कुलपति के अनुभव और चयन प्रक्रिया के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2013 के खण्ड 7.3.0 को प्रभावी करने के लिए वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 की धारा 8 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

किरण माहेश्वरी,
प्रभारी मंत्री।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 35) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

8. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या उसके किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;

(ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय का कुलपति,

और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(1-क) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(1-ख) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित नि:शुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(1-ग) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी

और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (1-घ) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(1-घ) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (1-ग) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(1-ङ) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी ।

(1-च) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये ।

(1-छ) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(1-ज) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(1-झ) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(1-ञ) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो कुलाधिपति अवधारित करें।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकलापों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा।

(4) जहां तुरन्त कार्रवाई अपेक्षित हो वहां कुलपति को ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जिससे ऐसी किसी भी शक्ति प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है:

परन्तु कोई व्यक्ति जो इस उप-धारा के अधीन कुलपति द्वारा किये गये आदेश से व्यथित हो, उस तारीख के, जिसको कि आदेश किया गया हो, नब्बे दिन के भीतर-भीतर प्रबंध बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा और उक्त बोर्ड उक्त आदेश को पुष्ट कर सकेगा या उसे उलट सकेगा या उपान्तरित कर सकेगा।

(5) कुलपति, उसे इस बात का समाधान हो जाने पर कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा की गयी कोई कार्रवाई या किया गया कोई आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) जहां प्राधिकरण उप-धारा (5) के अधीन अपेक्षा किये जाने पर ऐसी कार्रवाई या आदेश के साठ दिन के भीतर-भीतर अपनी कार्रवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने में असफल रहता है वहां मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा जिनका विनिश्चय अंतिम होगा।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 22 of 2017

THE VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Vardhman Mahaveer Open University, Kota (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 8, Rajasthan Act No. 35 of 1987.- For the existing section 8 of the Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987 (Act No. 35 of 1987), the following shall be substituted, namely:-

"**8. Vice-Chancellor.-** (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he is a distinguished academician having a minimum of ten years experience as Professor in a University or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of –

(a) one person nominated by the Board;

(b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;

(c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(4) An eminent person in the sphere of higher education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his death, resignation, removal or the expiry of his term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so

filled, stop-gap arrangement shall be made by him under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he wishes to be relieved, his resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he may continue to contribute to the provident fund of which he was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(17) The Vice-Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall exercise overall supervision and control over the affairs of the University. He shall have all such powers as may be necessary for true observance of the provisions of this Act and Statutes.

(18) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority under this Act or the Statutes:

Provided that such action shall be reported to the Authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval:

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board, the matter shall be referred to the Board, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(19) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be referred to the Board or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State Government had given sanction for adoption of the provisions of University Grants Commission Regulations, 2010. Later amendments were made in these Regulations in the Year 2013.

In order to give effect to clause 7.3.0 of the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) (2^{nd} Amendment) Regulations, 2013 regarding experience and selection procedure of Vice-Chancellor, section 8 of the Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987 is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid object.

Hence the Bill.

किरण माहेश्वरी,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA

ACT, 1987
(ACT No. 35 of 1987)

XX XX XX XX XX XX

8. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of –

(a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;

(b) one person nominated by the Chancellor;

(c) one person nominated by the State Government; and

(d) Vice-Chancellor of the Indira Gandhi National Open University,

and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(1-A) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(1-B) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(1-C) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so

long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (1-D).

(1-D) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (1-C), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(1-E) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(1-F) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(1-G) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(1-H) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(1-I) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(1-J) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor after consultation with the State Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over all the affairs of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority of the University under this Act or the Status:

Provided that any person, who is aggrieved by an order made by the Vice-Chancellor under this Sub-section, may prefer an appeal before the Board of Management within ninety days of the date on which the order is made and the said Board may confirm, reverse or modify the said order.

(5) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority of the University is not in the interests of the University or beyond the powers of such Authority, require the Authority to review its action or order.

(6) Where the Authority, on being required under sub-section (5), refuses or fails to review its action or order within sixty days of such action or order, the matter may be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं.22

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,

सचिव।

(किरण माहेश्वरी, **प्रभारी मंत्री**)

Bill No. 22 of 2017

THE VARDHMAN MAHAVEER OPEN UNIVERSITY, KOTA (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Vardhman Mahaveer Open University, Kota Act, 1987.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Kiran Maheshwari, **Minister-Incharge**)